

 हरिटेज	<b>कार्यालय नगर निगम जयपुर हरिटेज</b> जलेबी चौक, बड़ी चौपड, जयपुर	 हरिटेज
क्रमांक	अधि० अभि० (मु०) हरिटेज/2022/116	दिनांक: 08.06.2022

### विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापित क्रमांक 114 दिनांक 08.06.22 जो नगर निगम जयपुर हरिटेज की वेबसाइट [www.jaipurmcheritage.org](http://www.jaipurmcheritage.org) पर उपलब्ध है, के अनुसार मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अन्तर्गत लागू इंदिरा गौंधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु इस जयपुर जिले की नगर निगम जयपुर हरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर/नगर परिषद कोटपूतली/नगर पालिका बगरू/बरसी/चौमू/जोबनेर/किशनगढ़-रेनवाल/कोटपूतली/पावटा-प्रागपुरा/फुलेरा/सांभरलेक/शाहपुरा/विराट नगर) में कार्मिक विभाग कि अधिरूचना संख्या एफ 17 (4) डीओपी/ए-2/2014 दिनांक 11.01.2022 के अनुसार निम्न पदों के लिए संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

निकाय का नाम	पद का नाम	मानदेय प्रति माह	शैक्षणिक योग्यता
नगर निगम जयपुर हरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर/नगर परिषद कोटपूतली/नगर पालिका बगरू/बरसी/चौमू/जोबनेर/किशनगढ़-रेनवाल/कोटपूतली/पावटा-प्रागपुरा/फुलेरा/सांभरलेक/शाहपुरा/विराट नगर)	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	40000/-	सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर/स्नातक डिग्री
	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	30000/-	सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा
	लेखा सहायक	25000/-	बी.कॉम/सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.) /ICWA(इन्टर) /कम्पनी सेक्रेटरी (इन्टर)
	MIS मैनेजर	25000/-	BCA
	शहरी रोजगार सहायक	15000/-	स्नातक + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय स्व: प्रमाणित शैक्षणिक योग्यता/जाति प्रमाण-पत्र के दस्तावेजों सहित दिनांक 24.06.2022 को सायं 6:00 बजे तक कार्यालय नगर निगम जयपुर हरिटेज (IRGY-Urban) रोल में व्यक्तिशः/डाक से प्रस्तुत कर सकते हैं। डाक से भिजवाते समय यह सुनिश्चित कर लेवे कि डाक नियत तिथि व समय पर कार्यालय में पहुँच जावे। अन्तिम दिनांक 24.06.2022 सायं 6:00 के पश्चात् व्यक्तिशः/डाक से प्राप्त होने वाले आवेदनों पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। विज्ञापित से संबंधित विस्तृत विज्ञापित/आवेदन पत्र/अन्य सूचनाएँ/निर्देश नगर निगम जयपुर हरिटेज की वेबसाइट [www.jaipurmcheritage.org](http://www.jaipurmcheritage.org) पर उपलब्ध है।


  
 जिला कलेक्टर एवं  
 जिला परियोजना समन्वयक  
 जयपुर

क्रमांक: IRGY-Urban/सं.म./2022-23/

दिनांक :-

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय/श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, जयपुर।
3. माननीय महापौर महोदया, नगर निगम जयपुर हरिटेज।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
5. मुख्य अभियंता(सिविल)/वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक/संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क)/एनालिस्ट-कम-प्रोगामर, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर/नगर परिषद कोटपूतली जयपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बगरू/बरसी/चौमू/जोबनेर/किशनगढ़-रेनवाल/कोटपूतली/पावटा-प्रागपुरा/फुलेरा/सांभरलेक/शाहपुरा/विराट नगर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम जयपुर हरिटेज।
9. नोटिस बोर्ड जिला कलेक्ट्रेट जयपुर/नगर निगम जयपुर हरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
10. सम्पादक ..... को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापित न्यूनतम स्पेस में डीपीआर दर पर शीघ्र प्रकाशित करवाते हुए व्यय बिल मय समाचार पत्रों की 3 प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।
11. रक्षित पत्रावली।

  
 (अवधेश मीना)  
 आई.ए.एस.  
 आयुक्त  
 नगर निगम जयपुर हरिटेज

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जयपुर राजस्थान

प्रारूप

आवेदन पत्र

आवेदक का  
फोटो

- 1 आवेदक का नाम i हिन्दी :- .....
- ii IN ENGLISH (CAPITAL LETTER) :- .....
- 2 पिता/पति का नाम i हिन्दी :- .....
- ii IN ENGLISH (CAPITAL LETTER) :- .....
- 3 लिंग (पुरुष/महिला) :- .....
- 4 पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया है :- .....
- 5 जाति  
(संलग्न प्रमाण पत्र क्रमांक .....)
- 6 आवेदित वर्ग :- .....
- 7 जन्म तिथि :- दिनांक ..... माह ..... वर्ष .....
- (संलग्न प्रमाण पत्र क्रमांक .....)
- 8 आयु (01.01.2023 को) :- .....
- 9 मूल निवास :- .....
- 10 स्थाई पता :- .....
- .....
- 11 पत्र व्यवहार का पता :- .....
- .....
- 12 मोबाईल नम्बर :- .....
- 13 आधार संख्या :- .....
- 14 ई-मेल आईडी :- .....
- 15 शैक्षणिक योग्यता :- .....
- (संलग्न प्रमाण पत्र क्रमांक .....)

शैक्षणिक स्तर	वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	प्रतिशत	अन्य विवरण
माध्यमिक					
सीनियर सेकेंडरी					
स्नातक					
डिग्री/डिप्लोमा					
स्नातकोत्तर					

नोट:- समस्त संलग्न दस्तावेज स्व-हस्ताक्षरित साफ-सुधरे एवं छाया-प्रतिलिपि (फोटोकॉपी) होना चाहिए। किसी प्रकार की कांट-छांट, अशुद्धि होने पर एवं दस्तावेज सही दृश्य नहीं होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी। प्रत्येक संलग्न दस्तावेज पर क्रमांक अंकित करें।

संलग्न दस्तावेजों की सूची


आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ

मैं यह सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित 1 लगायत 15 की समस्त जानकारी सही है, कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। किसी भी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला जयपुर का निर्णय मुझे मान्य होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद (कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदक ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ..... का पद ..... हेतु आवेदन  
पत्र नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्यालय में दिनांक ..... को प्राप्त हुआ जिसका प्राप्ती क्रमांक ..... है।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

## परिशिष्ट-41

1. 01.06.2002 को जीवित सन्तानों का विवरण:-

क्र. सं.	बच्चे/सन्तान का नाम	जन्म तिथि
1		
2		
3		
4		

2. 01.06.2002 के पश्चात् उत्पन्न बच्चों/सन्तानों का विवरण:-

क्र. सं.	बच्चे/सन्तान का नाम	जन्म तिथि
1		
2		
3		
4		

3. कुल जीवित बच्चे/सन्तानें:-

.....

हस्ताक्षर  
आवेदक का नाम व पूर्ण पता



## कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जयपुर राजस्थान

क्रमांक: IRGY-Urban/सं.भ./2022-23/114

दिनांक- 08.06.2022

"इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के विभिन्न पदों के लिये संविदा आधार पर सीधी भर्ती 2022

### विस्तृत-विज्ञापित

मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2022-23 के बिन्दु सं० 6 पर की गई घोषणान्तर्गत "इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)" विभागीय क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 56 (क) ( ) सी.ई./डीएलबी/ IRGY-Urban/2022-23/30025-30250 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार पत्र क्रमांक एस्टे/एम/एफ.10 ( )/आरएमएस (टी)/डीएलबी/2022/3692-3724 दिनांक 31.05.2022 एवं एस्टे/एम/एफ.10( )/आरएमएस (टी)/डीएलबी/2022/5818-51 दिनांक 01.06.2022 के निर्देशानुसार तथा कार्मिक विभाग राज० सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 17 (4) डीओपी/ए-2/2014 दिनांक 11.01.2022 की अनुपालना में जयपुर जिले की समस्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर/नगर परिषद कोटपूतली/नगर पालिका बगरू/बस्सी/चौम्/जोबनेर/किशनगढ़-रेनवाल/कोटपूतली/पावटा-प्रागपुरा/फुलेरा/सांभरलेक/शाहपुरा/विराट नगर) में कार्मिकों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई संविदा आधार पर/अनुबंध आधारित कार्मिकों का चयन करने हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।


अ. पदों का विवरण:-

क्र. सं.	पदनाम	No of post (S)	Gen (UR)				E W S				S C				S T				O B C				M B C				Horizontal Reservation					
			सामान्य	सा. म.	किष्क	परि. यक्षता	सामान्य	सा. म.	किष्क	परि. यक्षता	सामान्य	सा. म.	किष्क	परि. यक्षता	सामान्य	सा. म.	किष्क	परि. यक्षता	सामान्य	सा. म.	किष्क	परि. यक्षता	सामान्य	सा. म.	किष्क	परि. यक्षता	विशेष श्रेणियाँ	Ex-service Men	अन्य दिवंगत			
1	दरिद्र तकनीकी सहायक	11	4	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (हिन्दी)	22	7	2	-	-	2	1	-	-	4	1	-	-	3	1	-	-	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (शिल्पी)	6	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	लेखा सहायक	18	6	2	-	-	2	1	-	-	3	1	-	-	2	1	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	MIS मैनेजर	18	6	2	-	-	2	1	-	-	3	1	-	-	2	1	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	शहरी रोजगार सहायक	29	11	4	-	-	3	1	-	-	5	2	-	-	3	1	-	-	6	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

शैक्षणिक योग्यता एवं देय मानदेय-

क्र. सं.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	प्रतिमाह मानदेय (संविदा पर)
1	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर/स्नातक डिग्री	40000/-
2	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा/डिप्लोमा	30000/-
3	लेखा सहायक	बी कॉम/सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.)/ ICWA(इन्टर)/ कम्पनी सेक्रेटरी (इन्टर)	25000/-
4	MIS मैनेजर	BCA	25000/-
5	शहरी रोजगार सहायक	स्नातक + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण	15000/-

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय स्व-प्रमाणित शैक्षणिक/आयु/जाति प्रमाण पत्र/सन्तान संबंधी शपथ-पत्र/जन्म-प्रमाण पत्र/मूल निवासी प्रमाण पत्रों के दस्तावेजों सहित दिनांक 24.06.2022 को सायं 6:00 बजे तक कार्यालय समय में नगर निगम जयपुर हैरिटेज में IRGY-Urban CELL में व्यक्तिगत/रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन/निर्देश कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, नगर निगम जयपुर हैरिटेज के नोटिस बोर्ड एवं नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाइट [www.jaipurmheritage.org](http://www.jaipurmheritage.org) पर देखी जा सकती है।

  
जिला कलेक्टर एवं  
जिला परियोजना समन्वयक  
जयपुर

शर्तें:-

- राज्य सरकार के द्वारा इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश इस विज्ञापन का भाग माने जायेंगे।
- इस योजना का प्रशासनिक विभाग,स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार है।
- इस योजनाअन्तर्गत उक्त संविदा पदों के वर्ग के वर्गीकरण एवं संविदा अनुबन्ध के संबंध में कार्मिक विभाग,राजस्थान सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र आदि के द्वारा प्रदत्त विभिन्न दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।
- इच्छुक अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिसमें आवेदित पद का नाम, पिता/पति का नाम, जाति मूल निवासी, आयु, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, वर्ग जिसके लिये आवेदन किया गया है, मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी आदि का अंकन करते हुए तथा जाति,मूल निवासी, आयु, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, वर्ग तथा सन्तान संबंधी घोषणा-पत्र आदि सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप नगर निगम जयपुर हैरिटेज (इन्दिरा गाँधी रोजगार गारन्टी योजना-प्रकोष्ठ) कार्यालय में एवं नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाइट [www.jaipurmheritage.org](http://www.jaipurmheritage.org) पर भी देखा जा सकता है।
- उक्त संविदा संदायें पूर्णतया अनुबंध पर आधारित है जिसकी अवधि वित्तीय 2022-23 वर्ष तक अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक प्रथमतः प्रभावी होगी।
- यदि संदायें संतोषप्रद नहीं रहती है तो अनुबंधित कार्मिक को कभी भी अनुबंध समाप्त कर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
- पदों की संख्या घटाई बढाई जा सकती है।
- आरक्षित वर्ग के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार पद आरक्षित होंगे एवं विशेष योग्यजन हेतु नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
- 1 जनवरी 2023 को आवेदन की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष मान्य होगी।
- किसी भी तरह का विवाद होने पर अन्तिम निर्णय जिला कलेक्टर जयपुर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर (IRGY-U) का मान्य होगा। तथा किसी भी तरह के विवाद कि स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर जिला मुख्यालय होगा।

11. संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट पर आधारित होगी। इसके लिए साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है।
12. संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट तैयार की जावेगी तथा सफल/चयनित अभ्यर्थियों से अनुबंध उन्हें आवंटित संबंधित निकाय द्वारा किया जावेगा।
13. संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु 80 प्रतिशत पद डिग्रीधारियों से तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारियों से भरे जावेंगे।
14. एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही नगरीय निकाय में संविदा अनुबंध किया जावेगा अन्यथा संविदा अनुबंध निरस्त कर दिये जायेंगे।
15. OBC प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम दिनांक 30.06.2022 से एक वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा एवं EWS का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वैध ही मान्य होगा।
16. शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक + RSCIT उत्तीर्ण होना आवश्यक है परन्तु मैरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांकों के आधार पर ही किया जावेगा। RSCIT हेतु मैरिट का कोई प्रावधान नहीं रखा जावेगा।
17. संविदा भर्ती वरियता के आधार पर की जावेगी तथा पदवार सभी पदों के लिये कुल पदों की पृथक-पृथक क्रमशः 20 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
18. संविदा भर्ती हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है अर्थात् आवेदन निःशुल्क किया जावेगा।
19. संविदा से भरे जाने वाले पदों की भर्ती जिले की समस्त स्थानीय निकायों के लिये नगर निगम जयपुर हैरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर/नगर परिषद कोटपूतली/नगर पालिका बगरू/बस्ती/चौम/जोबनेर/किशनगढ़-रेनवाल/कोटपूतली/पावटा-प्रागपुरा/फुलेरा/सांभरलेक/शाहपुरा/विराट नगर) संविदा पदों के लिये की जा रही है।
20. संविदा भर्ती किये जाने के उपरांत नगरीय निकायों का आवंटन जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जयपुर द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जावेगा।
21. आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
22. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 24.06.22 सायं 6:00 बजे तक रहेगी।
23. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।
24. महिला हेतु रिक्तियों का आरक्षण शैतिज प्रवर्गानुसार सामान्य महिला 20 प्रतिशत, विधवा महिला 8 प्रतिशत एवं विवाह विच्छिन्न महिला 2 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उसके संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।
25. स्पष्टीकरण - किसी वर्ग अनारक्षित पद, सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उगी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जावेगा। विवाहित महिला आवेदक का अपने पिता का नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन किमीलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
26. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार विधवा महिलाओं के लिये पद आरक्षित है यदि विधवा महिलाएँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो उनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की प्रथम विवाह विच्छिन्न महिलाओं से एवं विवाह विच्छिन्न महिला उपलब्ध नहीं होने पर उस श्रेणी वर्ग की सामान्य महिला से भरा जावेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं को न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

#### भूतपूर्वक सैनिक हेतु :-

27. भूतपूर्वक सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण पद का लाभ देय होगा किन्तु उनके आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद का लाभ देय नहीं होगा।
28. भूतपूर्वक सैनिक - प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा से कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि उसकी सेवा मुक्ति में दर्शाया गया हो।
29. प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के परवात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे नियोजन के लिये अर्हत बना दें।
30. यदि किसी कारणवश भूतपूर्वक सैनिक कार्य ग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा।

#### अधिकतम आय सीमा में छूट:-

- (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आय सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

(ii) सामान्य महिला अभ्यर्थीयों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थीयों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी।

#### अन्य योग्यताएँ-


31. स्वास्थ्य - उक्त पद पर भर्ती के लिये उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व जिले के प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

#### परित्र-

32. परित्र - सेवा में सीपी भर्ती के लिये आवेदक का परित्र ऐसा होना चाहिए जिससे की वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्घरित का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अनिश्चित शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हों।

#### नियुक्ति की अयोग्यताएँ-

33. किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किये जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है।
34. किसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है।
35. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु 2 से अधिक बच्चे वाले आवेदक को नियुक्ति के लिये तब तक निरहसित नहीं समझा जायेगा जब तक की 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोत्तरी नहीं होती। परन्तु यह और के जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है और वहां बच्चों की संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ही समझा जायेगा।
36. जाति प्रमाण पत्र की कक्षा अवधि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र निर्देश 09.09.2015 के अनुसार होंगे।

  
जिला कलेक्टर एवं  
जिला परियोजना समन्वयक  
जयपुर

क्रमांक: IRGY-Urban/सं.म./2022-23/ 115

दिनांक :- 08.06.2022

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय/श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय स्वास्थ्य शासन विभाग राज् जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, जयपुर।
3. स्थानीय महापौर महोदय नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
5. मुख्य अभियंता(सिविल)/ वित्तीय सलाहकार/ परियोजना निदेशक/संयुक्त निदेशक(जन सम्पर्क)/एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर,निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर।
6. आनुकूल नगर निगम चैटर जयपुर/नगर परिषद् कोटपुतली जयपुर।



7. अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका बगरू/बस्सी/चौमू/जोबनेर/किशनगढ़-रेनवाल/कोटपूतली/पावटा-प्रागपुरा/फुलेरा/सांभरलेक/शाहपुरा/विराट नगर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
9. नोटिस बोर्ड जिला कलेक्ट्रेट जयपुर/नगर निगम जयपुर हैरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
10. सम्पादक ..... को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति न्यूनतम स्पेस में डीपीआर दर पर शीघ्र प्रकाशित करवाते हुए व्यय बिल मय समाचार पत्रों की 3 प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।
11. रक्षित पत्रावली।

(अवधेश मीना)  
आई.ए.एस.

आयुक्त  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज